

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

सेवा में

1. सभी अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरियाणा राज्य ।
2. अतिरिक्त निदेशक, औ० सु० एवं स्वा०, मुख्यालय ।
3. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन०सी०आर), गुरुग्राम ।
4. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय ।
5. सभी संयुक्त निदेशक, औ० सु० एवं स्वा०, मुख्यालय ।
6. संयुक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय ।
7. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य ।
8. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य ।
9. सभी उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य ।
10. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य ।
11. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य ।
12. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (कैमिकल), हरियाणा राज्य ।
13. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य-कम-सर्टिफाईंग सर्जन, हरियाणा राज्य ।
14. कल्याण अधिकारी (म०), पानीपत व फरीदाबाद ।
15. लेखा अधिकारी, मुख्यालय ।
16. सभी उप अधीक्षक, मुख्यालय ।

क्रमांक: /स्था०/०५/२०२५/५५२५-७६ दिनांक : ०७/०३/२५

विषय : हरियाणा विधान सभा अधिवेशन ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

विषयोक्त मामले में सादर सूचित किया जाता है कि हरियाणा विधान सभा का अधिवेशन दिनांक ०७.०३.२०२५ को सुबह ११.०० बजे शुरू होना है। अतः किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का सत्र समाप्ति तक अवकाश स्वीकृत न किया जाये और न ही स्वीकृति हेतु मुख्यालय को भेजा जाये। यह आपको सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Sanjeev

उप अधीक्षक (स्था०)

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा ।